भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1293
03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः लू के कारण हुआ फसल का नुकसान

1293. **श्री बस्तीपति नागराजूः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लू के कारण फसल का नुकसान हुआ है;
(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में लू के कारण हुए फसलों के नुकसान का जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या लू के कारण जिन किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है, उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जिला-वार कितनी सब्सिडी दी गई है;
(ङ) आंध्र प्रदेश राज्य में राज्य-वार और जिला-वार कितनी कृषि भूमि को सिंचाई सुविधाओं से जोड़ा गया है;
(च) क्या इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और
(छ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (छ): विगत वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन 3322.98 लाख टन था जो पिछले वर्ष के कुल खाद्यान्न उत्पादन 3296.87 लाख टन से 26.11 लाख टन अधिक है। इसके अतिरिक्त, 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य ने लू के कारण किसी भी फसल की हानि की सूचना नहीं दी है।

आंध्र प्रदेश के राज्य-वार निवल सिंचित क्षेत्र और जिला-वार निवल सिंचित क्षेत्र का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सतत जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना इत्यादि है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं में से आठ (8) परियोजनाएं आंध्र प्रदेश राज्य में शामिल की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का समग्र उद्देश्य 263.29 हजार हेक्टेयर की मौलिक सिंचाई क्षमता सृजित करना है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग आंध्र प्रदेश सहित देश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पीडीएमसी को वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान पीएमकेएसवाई के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से, पीडीएमसी को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर बल देता है। सूक्ष्म सिंचाई जल की बचत के साथ-साथ उर्वरक के उपयोग, श्रम व्यय, अन्य आदान लागतों को कम करने और किसानों की कुल आय में वृद्धि करने में सहायता करती है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% की दर से और अन्य किसानों के लिए 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीडीएमसी के तहत, आंध्र प्रदेश को केंद्रीय सहायता के रूप में 2737.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और राज्य में 2015-16 से अब तक सूक्ष्म सिंचाई के तहत 9.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में शामिल किए गए जिलेवार क्षेत्र का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर के लिए देय लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1293 के भाग (क) से (छः) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध

राज्य-वार निवल सिंचित क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23
	निवल सिंचित क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	2855
अरुणाचल प्रदेश	64
असम	467
बिहार	3124
छत्तीसगढ़	1535
गोवा	32
गुजरात	6186
हरियाणा	3336
हिमाचल प्रदेश	109
झारखंड	202
कर्नाटक	5038
केरल	419
मध्य प्रदेश	12930
महाराष्ट्र	3095
मणिपुर	57
मेघालय	105
मिजोरम	16
नागालैंड	118
ओडिशा	1335
पंजाब	4082
राजस्थान	9500
सिक्किम	13
तमिलनाडु	2921
तेलंगाना	3866
त्रिपुरा	90
उत्तराखंड	313
उत्तर प्रदेश	14044
पश्चिम बंगाल	3088
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0
चंडीगढ़	0
दादर एवं नगर हवेली व दमन और दीव	1
दिल्ली	22
जम्मू और कश्मीर	311
लद्दाख	22
लक्षद्वीप	0
पुदुचेरी	14
अखिल भारत	**79312**

स्रोत: भू-उपयोग सांख्यिकी, डीएएंडएफडब्ल्यू

0 का तात्पर्य है कि क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर से कम है

अनुबंध-I (समाप्त)

आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार निवल सिंचित क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर)

राज्य/जिला फसल वर्ष	कुल
अल्लूरी सीतारामारजू	25.9
अनकापल्ली	77.3
अनंतपुर	185.3
अन्नमय्या	68.6
बापतला	149.5
चित्तूर	76.2
पूर्वी गोदावरी	120.4
एलुरु	177.7
गुंटूर	93.1
कडपा	122.6
काकीनाडा	109.7
कोनासीमा	90.8
कृष्णा	173.3
कुरनूल	99.8
नांदयाल	180.8
एनटीआर	70.8
पलनाडु	125.5
पार्वतीपुरमण्यम	81.7
प्रकाशम	98.0
एसपीएसआरनेल्लोर	171.8
श्री सत्यसाई	88.3
श्रीकाकुलम	136.7
तिरुपति	119.3
विशाखापत्तनम	5.9
विजयनगरम	108.0
पश्चिम गोदावरी	98.4
कुल	**2855.52**

स्रोत: भू-उपयोग सांख्यिकी, डीएएंडएफडब्ल्यू

अनुबंध-II

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर के लिए देय लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1293 के भाग (क) से (छ) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध

आंध्र प्रदेश राज्य में 2015-16 से अब तक सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया जिला-वार क्षेत्र

क्र.सं.	आंध्र प्रदेश राज्य के जिले	सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया क्षेत्र (क्षेत्र हेक्टेयर में)
1	अल्लूरी सीतारामा राजू	714
2	अनकापल्ली	1994
3	अनंतपुर	183813
4	अन्नमय्या	22945
5	बापतला	2670
6	चित्तूर	132621
7	पूर्वी गोदावरी	29533
8	एलुरु	10582
9	गुंटूर	27190
10	काकीनाडा	2163
11	कोनासीमा	155
12	कृष्णा	26629
13	कुरनूल	92028
14	नांदयाल	9927
15	एनटीआर	4011
16	पलनाडु	5337
17	पार्वतीपुरम मण्डयम	1252
18	प्रकाशम	92351
19	एसपीएसआर नेल्लोर	38569
20	श्री सत्य साई	19454
21	श्रीकाकुलम	17199
22	तिरुपति	3981
23	विशाखापत्तनम	15935
24	विजयनगरम	15663
25	पश्चिम गोदावरी	61547
26	वाईएसआर	149970
	कुल	**968233**

स्रोत:वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली (आरएफएस) प्रभाग, डीएएंडएफडब्ल्यू

******